राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्वीकृति पेंशन
जम्मू और कश्मीर	779
केरल	2132
कर्नाटक	7250
मध्य प्रदेश	2733
महाराष्ट्र	9984
मणिपुर	58
मेघालय	67
मिजोरम	—
नागालैंड	7
उड़ीसा	3521
पांडिचेरी	221
पंजाब	5048
राजस्थान	581
तमिलनाडु	3518
त्रिपुरा	640
उत्तर प्रदेश	15429
पश्चिम बंगाल	14699
कुल स्वतंत्रता सैनानी	102482

भारतीय आजाद हिंद फौज के कार्मिक

सैनिक	13117
सिवलियिन	2326
कुल आजाद हिंद फौजी	15443
कुल जोड़ .	117925

गांधी इर्विन संधि के पश्चात रिहा किये गये स्वाधीनता सेनानियों की पेंशन

1093. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन स्वतंत्रता सेनानियों को पैन्शन नहीं दे रही है जो गांधी इर्विन संधि के पश्चात् रिहा किए गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ;

(ग) क्या उक्त आधार पर बहुत से स्वाधीनता सेनानियों को पैन्शन देना बन्द कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(क) से (घ). केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पैंशन योजना के अन्तगत वे आवेदक जिन्हे 6 महीने या इससे अधिक की जेल हुई थी और जो कम से कम पांच महीने तक जेल में रहे थे लेकिन गांधी इर्विन समझौते और अन्य राज्यक्षमा आदेशों के कारण बाद में रिहा कर दिए गए थे, स्वतंत्रता सनानी पैंशन की स्वीकृति के पात्र हैं । अन्य मामलो में जहां वास्तविक जेल 5 महीनों से कम रही हो, पैंशन स्वीकृत नहीं की गई है । ऐसे मामलों की संख्या सुगमता से उपलब्ध नहीं है । इस सूचना को एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुकूल नहीं है ।

जाली स्वाधीनता सेनानियों का पता लगाया जाना

1094. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने जाली स्वाधीनता सनानियों का पता लगाने के लिए कोई नीति निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) अब तक जिन स्वाधीनता सेनानियों का पता चला है उनकी राज्वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ संसद् सदस्यों तथा विधायको को स्वाधीनता सेनानियों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके राज्यवार नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :

(क) और (ख). स्वतंत्रता सेनानियों की यातनाओं के दावों का सत्यापन करने के लिए सरकार के पास अपनी कोई स्वतंत्र मशीनरी नही है और ऐसे सत्यापन के लिए सरकार को पूर्ण रूप से राज्य सरकार की मशीनरी पर निर्भर रहना पड़ता है । सरकार को जनता के सहयोग पर भी निर्भर रहना पड़ता है और वास्तव में लोगों की शिकायतों के आधार पर बड़ी संख्या में पैंशन रोक दी गई है । किन्तु जाली पैंशन का पता लगाने के लिए कोई सुस्पष्ट सरकारी मशीनरी नही है । स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध प्राप्त सभी शिकायतों की तत्काल जांच की जाती है और उन्हें सत्यापन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को भेजा जाता है । जहां पैंशन रोकने के लिए पुष्ट आधार तथा ऊपरी तौर पर मामला बनता है ऐसे मामलों पर राज्य सरकार द्वारा आगे जांच करने तक पैंशन रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की जाती है ।

(ग) प्राप्त शिकायतों, पैंशन रोकने, सत्यापन के बाद पैंशन रद्द करने तथा पुनः देने के मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण संलग्न है ।

(घ) और (ङ). सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ भूतपूर्व विधायकों ने अपना साथी कैदी होने के अन्धाधुन्ध प्रमाण पत्र दिए हैं। कुछ राज्य सरकारों ने रिपोर्ट दी है कि वे कुछ भूतपूर्व विधायकों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं करते हैं जहां इन भूतपूर्व विधायकों द्वारा दिए गए कैदी होने के प्रमाण पत्रों के आधार पर पहले पैंशन स्वीकृत की गई थी है । वहां राज्य सरकार द्वारा सत्यापन किये जाने तक पैंशन रोक दी गई है जहां प्रमाण पत्र दाता स्वतंत्रता सैनानी पैंशन प्राप्त करता है वहां उनके द्वारा प्रमाणित यातना का उनके स्वयं की यातना के दावों के साथ दूहरी जांच की जाती है और उनका प्रमाण पत्र तब स्वीकार किया जाता है जब उनके द्वारा प्रमाणित अवधि उनकी यातना के दावों के साथ मेल खाती है । जब कि केन्द्रीय सरकार ने स्वयं कोई स्वतंत्र जांच नहीं की है इस लिए उन्हे राज्य सरकार की सलाह पर निर्भर रहना पड़ता है । उनके नाम प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की सं० जिनमें शिकायत की गई है	उन मामलों की संख्या जिनमें पैंशन रोक दी गई है	ऐसे मामलों की संख्या		ऐसे मामलों की संख्या जिनमें निर्णय होना है
				जिनमें पैंशन बन्द/रद्द कर दी गई	जिनमें पैंशन पुनः स्वीकृत की गई	
1	2	3	4	5	6	7
1	आन्ध्र प्रदेश	140	107	30	12	107
	आजाद हिन्द फौज	—	1	—	—	1
2	असम	1926	1597	17	312	1597
3	बिहार	1391	187	67	34	1290
4	चन्डीगढ़	2	2	—	—	2
5	दिल्ली	130	74	27	29	74
	आजाद हिन्द फौज	8	6	1	1	6
6	गुजरात	84	75	9	—	75
	आजाद हिन्द फौज	2	1	1	—	1
7	हरियाणा	66	42	4	20	42
	आजाद हिन्द फौज	23	15	2	6	15
8	हिमाचल प्रदेश	18	13	2	3	13
	आजाद हिन्द फौज	12	7	1	4	7
9	जम्मू तथा कश्मीर	1	—	1	—	—
	आजाद हिन्द फौज	1	1	—	—	1
10	कर्नाटक	1712	1599	102	11	1599
11	केरल	178	74	81	23	74
	आजाद हिन्द फौज	7	5	1	1	5
12	महाराष्ट्र	358	206	53	9	296

1	2	3	4	5	6	7
13	मध्य प्रदेशज	127	63	50	14	63
	आजाद हिन्द फौज	2	1	1	—	1
14	उड़ीसा	249	20	88	141	20
	आजाद हिन्द फौज	6	3	2	1	3
15	पंजाब	85	70	15	—	70
	आजाद हिन्द फौज	377	272	17	58	272
16	पाण्डिचेरी	62	15	37	10	15
17	राजस्थान	26	17	7	2	17
	आजाद हिन्द फौज	4	4	—	—	4
18	तमिल नाडु	308	142	116	50	142
	आजाद हिन्द फौज	5	5	—	—	5
19	उत्तर प्रदेश	659	530	98	31	530
	आजाद हिन्द फौज	16	12	2	2	12
20	पश्चिम बंगाल	659	508	120	31	508
	आजाद हिन्द फौज	4	3	—	1	3
21	त्रिपुरा	251	202	34	15	202
22	मणिपुर	7	—	7	—	—
	आजाद हिन्द फौज	4	4	—	—	4
23	मेघालय	29	15	13	1	15
24	गोवा	11	11	—	—	11
	जोड़	8960	5999	1036	822	7102

Loss of Life and Property due to Agitation on Foreigners Issue in Eastern India

1095. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the loss of lives and properties in each State that has taken place on foreigners issue in the Eastern India;

(b) how many families have taken shelter in the Relief Camps (Camp-wise) in the States; and

(c) how many families have been evicted from their home State (State-wise)?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) to (c). Information has been called for from the States/Union Territories and will be laid on the Table of the House.

Agitation on Foreigners Issue

1096. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) when and how the agitation on foreigners issue took place in some States of eastern part of the country;